इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0
Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक:इ0रा0वि0वि0/कु0स0का0/373/2018 दिनांक: 20/06/2018

कार्यालय– ज्ञाप

आदेशानुसार समस्त संबंधित परीक्षार्थियों एवं परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि ऐसे परीक्षार्थी जो इस प्रकार स्थायी विकलांगता से ग्रसित हैं कि वे लिखने में असमर्थ हैं अथवा जो अस्थायी रूप से विकलांगता की श्रेणी में है तथा लिखने में असमर्थ है अथवा जन्मान्ध है, उनके लिए श्रुति लेखक की व्यवस्था किये जोन के लिए परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/प्राचार्या को अधिकृत किया जाता है ताकि समय से परीक्षार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सके तथा दूरस्थ क्षेत्रों के परीक्षार्थी विश्वविद्यालय आने जाने की समस्या से मुक्त हो सके। श्रुति लेखकों की नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार कार्यवाही किए जाने मे निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करें।

1. श्रुति लेखक की आयु, जिस परीक्षार्थी के लिए नियुक्त किया जाय उससे कम हो।
2. श्रुति लेखक की योग्यता, परीक्षार्थी की योग्यता से एक कक्षा नीचे की हो।
3. श्रुति लेखक, परीक्षार्थी के विषयों का विद्यार्थी न हो।

जिसे श्रुति लेखक नियुक्त किया जाय उससे सम्बन्धित अभिलेख, फोटो व अन्य विवरण सहित विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्राचार्य/प्राचार्या, संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अपने स्तर से अवगत करा दें।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
4. निजी सचिव कुलपति जी को, मा0कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय0 सहायक, वित अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ0 (विनीता यादव)
कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक